

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./2023-24/2023/ 267

दिनांक : 30/11/23

'संक्षिप्त विज्ञप्ति'

(महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

इस निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में सत्र 2023-24 हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक 01 दिसम्बर 2023 से दिनांक 20 दिसम्बर 2023 (सायं 6:00 बजे) तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1.	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2.	आयु (31.12.2023)	आयु दिनांक 31.12.2023 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देय है।
3.	सीटों की संख्या	1650 सीटें
4.	आरक्षण	अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिये 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प 7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस) को दस प्रतिशत आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। (नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो) अनुसूचित खण्डों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। आंगनवाडी कार्यकर्ता, विधवाओं एवं तलाकशुदा एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों, विभागीय चतुर्थ श्रेणी-महिला अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा।
5.	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आईएनसी के नये सिलेबस (छठा संस्करण 2012) के अनुरूप 2 वर्ष (18 माह + 6 माह इन्टर्नशिप) होगी।
6.	स्टाईफण्ड	चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टार्पेण्ड देय होगा।
7.	चयन प्रक्रिया	चयन जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होगा। सत्र आरम्भ होने की सम्भावित माह जनवरी, 2024 है।
8.	आवेदन शुल्क	संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के नाम देय 20/- रुपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है।
9.	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट www. rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।
10.	आवेदन पत्र किस पते पर	आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो उस जिले के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20.12.2023 को सायं 6:00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। (आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिशः भिजवाये जा सकते हैं।) निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट :- अधिक जानकारी हेतु कृपया बिन्दू संख्या - 09 अनुसार विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वैबसाईट पर देखें।

54
(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर